



कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध एवं निवारण

✓ यौन उत्पीड़न समझे



✓ यौन उत्पीड़न से सहकर्मियों का बचाव करें

✓ यौन उत्पीड़न शिकायत दर्ज के बारे में जागरूकता करें

यौन उत्पीड़न अपराध है और कार्यस्थल पर अधिनियम 2013 के तहत अपराधी की रोजगार समाप्ति भी करवाई जा सकती है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न व्यवहार इनमें से कोई एक या सभी हो सकते हैं:-

1. शारीरिक संपर्क या हस्तक्षेप, या
2. यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, या
3. अभद्र कामुक टिप्पणियाँ करना, या
4. अश्लील चित्र दिखाना, या
5. यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर—मौखिक आचरण।



अपने कार्यस्थल पर ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए :- महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति से संपर्क करें।

फी.एम.यू. स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति
रिपोर्टिंग केंद्र ईमेल आईडी:- icc.rfbdp.afd@gmail.com



क्र.	नाम एवं पद	आई.सी.सी. पद
1.	सुदीप कौर, सी.एफ., कोर्डिनेशन आर.एफ.डी	अध्यक्ष
2.	कपिल चंद्रवाल, अतिरिक्त परियोजना निदेशक, आर.एफ.बी.डी.पी, जयपुर	सदस्य
3.	आर. के. मालपानी, उप परियोजना निदेशक, आर.एफ.बी.डी.पी, जयपुर	सदस्य सचिव
4.	शुभ्मांगी टिबरा, परियोजना प्रबंधक, आर.एफ.बी.डी.पी, जयपुर	सदस्य
5.	टीना लोहिया, परियोजना कार्यकारी, आर.एफ.बी.डी.पी, जयपुर	सदस्य